संख्या-7/2024/288/008-94-1002-099-2-2022

प्रेषक,

कुलदीप सिंह,
अनु सचिव।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबंधन,
उ०प्र० लखनऊ।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 **लखनऊ, दिनांक : 06 मार्च, 2024**

विषय : निष्प्रयोज्य घोषित वाहन संख्या-यू०पी०-70-एजी-0104 (जिप्सी) के स्थान पर विभागाध्यक्ष के शासकीय उपयोगार्थ 01 अदद इनोवा वाहन (कुल कीमत रू० 19,83,024/-) क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं०-468/32(2013)नजारत/शि०का०लख०/2024, दिनांक 14.02.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से निष्प्रयोज्य घोषित वाहन सं०-यू०पी०-70-एजी-0104 (जिप्सी) के स्थान पर विभागाध्यक्ष के शासकीय उपयोगार्थ 01 अदद इनोवा क्रिस्टा वाहन, कुल कीमत रू० 19,83,024/- (रुपये उन्नीस लाख तिरासी हजार चौबीस मात्र) क्रय किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निष्प्रयोज्य घोषित वाहन के स्थान पर 01 अदद इनोवा क्रिस्टा, कुल कीमत रू० 19,83,024/- (रुपये उन्नीस लाख तिरासी हजार चौबीस मात्र) क्रय किये जाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) प्रस्तावित वाहन का क्रय, वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 17.03.2023 एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनु०-2 द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निर्धारित सीमा/व्यवस्था तथा परिवहन विभाग द्वारा वाहन क्रय हेतु समय-समय पर निर्गत संगत शासनादेशों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(2) प्रतिस्थापन स्वरुप वाहन का क्रय डी०जी०एस० एण्ड डी० के नये जी०ई०एम० पोर्टल के अनुसार न्यूनतम दरों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(3) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत निष्प्रयोज्य वाहन की नीलामी की धनराशि राजकोष में निर्धारित मद में जमा कर दी गयी है।

(4) प्रश्नगत वाहन हेतु अनुमन्य/स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 19,83,024/- (रुपये उन्नीस लाख तिरासी हजार चौबीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 091 **लेखा शीर्षक** 4070008000300 स्टाम्प पंजीकरण-मुख्यालय **मानक मद** 14-मोटर गाड़ियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र **संख्या-E-9-524-X-2023-24 दिनांक 05.03.2024** में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

कुलदीप सिंह
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र० प्रयागराज।
3. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
4. वित्त एवं लेखाधिकारी, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ०प्र० शासन।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कुलदीप सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।